



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

## सार्वजनिक सूचना

जनपद गाजियाबाद के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हेतु राजस्व ग्राम पिपलहेड़ा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ के खसरा संख्या 760, 761 व 762 की भूमि संबंधित भूस्वामियों से समझौते के आधार पर क्रय किया जाना जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूमि के संबंध में भूमि समझौते के आधार पर विक्रय करने हेतु प्रार्थना पत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त हुये हैं, जिनकी सूची भू अर्जन अनुभाग / नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व / अंश सम्बंधी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप से नोटिस के प्रकाशन तिथि के एक सप्ताह के अंदर भू अर्जन अनुभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। आपसी सहमति के आधार पर भूमि विक्रय हेतु भूस्वामी / खातेदारों द्वारा भूमि के विक्रय पत्र निष्पादन कराये जाने से पूर्व निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-

1. संबंधित भूमि की वर्तमान खसरा व खतौनी की तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित नकल।
2. संबंधित भूमि विषयक रजिस्ट्री कार्यालय से जारी 12 वर्षीय सर्च अभिलेख (बारह साला प्रमाण पत्र)।
3. जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व 45।
4. संबंधित भूमि सीलिंग से प्रभावित न होने के बारे में संबंधित तहसील के तहसीलदार की आख्या।
5. विक्रय हेतु भूमि के विवादित न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. भूमि के भूदान, ग्रामसभा, गर्वमेंट ग्रांट एक्ट, निष्क्रांत / शत्रु सम्पत्ति, राज्य सरकार भूमि से संबंधित न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
7. तहसीलदार द्वारा अदेय प्रमाण पत्र।
8. भूमि बंधक न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
10. रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र।

विशेष कार्याधिकारी

ई-मेल : [helplinegda@gmail.com](mailto:helplinegda@gmail.com), [@gdagzb](https://www.facebook.com/gdagzb), [@gdagzb](https://www.twitter.com/gdagzb)

हेल्पलाइन नं. : 0120-3342433, व्हाट्सअप : 9818988807, वेबसाइट : [www.gdaghaziabad.com](http://www.gdaghaziabad.com)

एक सुन्दर शहर — हमारा संकल्प